झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — षष्ठम् (मॉनसून) सत्र

संख्या-04 — बुधवार, दिनांक-27 जुलाई,2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 02.32 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने अपने द्वारा मदरसा, फौकानिया आदि डिग्रियों की मान्यता समाप्त किये जाने, गैर-मजरूआ जमीनों से आमजनों को बेदखल करने सम्बन्धी सरकारी निर्णय के विरूद्ध तथा राज्य में लागू स्थानीय नीति सम्बन्धी दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

ii- माननीय सदस्य, श्री योगेन्द्र प्रसाद ने भी अपने द्वारा राज्य में लागू स्थानीय-नीति सम्बन्धी दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iii- माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने इस क्रम में नियमापत्ति करते हुए आसन के माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर आसन को ही उचित निर्णय लिये जाने का अधिकार है, अतएव इसपर विवाद नहीं होनी चाहिए,

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने सदन के बाहर धरने पर बैठे विभिन्न माननीय सदस्यों को ससम्मान सदन में लाये जाने हेतु आसन से आग्रह किया। आसन द्वारा श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय मुख्य सचेतक (सत्तारुढ़ दल) एवं विपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक, श्री नलिन सोरेन को धरने पर बैठे माननीय सदस्यों को ससम्मान सदन में लाये जाने हेतु निदेश दिया गया।

(इस अवसर पर माननीय मुख्य सचेतक (सत्तारुढ़ दल) एवं विपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक, श्री नलिन सोरेन को धरने पर बैठे माननीय सदस्यों को ससम्मान सदन में लाये जाने हेतु सदन से बाहर गये।)

2.आसन से नियमन:-

मॉनसून-सत्र के लगातार बाधित रहने पर आसन द्वारा चिन्ता प्रकट की गयी तथा सदन को संसूचित किया गया कि कार्य-मंत्रणा समिति की गत बैठक में हुए निर्णय के आलोक में प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर विषय की गम्भीरता के अनुसार ही आसन द्वारा उचित निर्णय लिये जायेंगे। सदन में इन्हें पढ़ने की अनुमति झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही दी जा सकेगी। इसपर सम्बन्धित माननीय सदस्यों के अडिग हो जाने की स्थिति को उन्होंने अनुचित बताया।

(कृपया पृष्ठ उल्टें)

3.कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, सर्वश्री प्रदीप यादव, योगेन्द्र प्रसाद, आलमगीर आलम एवं श्रीमती निर्मला देवी द्वारा दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा इन्हें अमान्य करते हुए ऐसे विषयों को अनुपूरक व्यय-विवरणी पर चर्चा के दौरान रखे जाने हेतु निदेश दिया गया।

(भारी शोरगुल)

इस क्रम में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव, डॉ० इरफान अंसारी, श्री बादल एवं श्रीमती निर्मला देवी अपनी विभिन्न माँगों को लेकर सदन की वेल में आ गये। इसके उपरांत झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अधिकांशतः माननीय सदस्य भी नारेबाजी करते हुए वेल में आ गये।

इस अवसर पर सत्तापक्ष के भी अधिकांशतः माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर विरोधस्वरूप नारेबाजी करने लगे, इससे भारी अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सदन की **कार्यवाही 11.23 बजे पूर्वा० से 12.30 बजे अप०** तक स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य पूर्व की भाँति अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को बाधित नहीं किये जाने हेतु बार-बार आग्रह किया गया, लेकिन झारखण्ड विकास मोर्चा के माननीय सदस्य पूर्ववत् सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। आसन द्वारा बारम्बार उन्हें अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु आग्रह किया गया, परन्तु स्थिति यथावत् कायम रही। सदन में भारी शोरगुल होने के कारण अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी अतएव सदन की कार्यवाही 12.35 बजे अप० से 02.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही निम्नांकित माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों द्वारा अपनी-अपनी बातें रखी गयी-

i- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने व्यवस्था के तहत अन्तराल के पूर्व सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा गुलाब फूल दिये जाने को फूल नहीं बल्कि कांटा की संज्ञा दी,

ii- माननीय मंत्री, श्री चंन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अन्तराल के पूर्व आसन द्वारा कहे गये ''सभी माननीय सदस्य'' शब्द के स्थान पर ''कतिपय माननीय सदस्य'' शब्द कार्यवाही में दर्ज किये जाने हेतु आग्रह किया,

iii- माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया गया कि राँची स्थित हटिया मुख्य सड़क पर एक अज्ञात लाश पड़ी हुई है जिसे सम्बन्धित अधिकारी हटाने की व्यवस्था करें। आसन द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया,

iv- माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया गया कि राज्य में बने डोभों में मरनेवाले बच्चों के आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाय,

v- ग्रामीण विकास विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में सदन को आसन के माध्यम से जानकारी दी कि डोभा

में मरनेवाले बच्चों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगे साथ ही जिला एवं प्रखण्ड के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में सावधानी बरतने हेतु आमजनों को जागरूक करें। माननीय मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे भी इसमें सहयोग करें ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक दुर्घटनायें न घटे,

vi- माननीय संदस्य, डॉ इरफान अंसारी ने आग्रहपूर्वक आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा डोभा निर्माण सम्बन्धी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया था कि यह योजना घातक सिद्ध होगी, इसलिए इसपर रोक लगायी जाय। डॉ० अंसारी ने डोभा में मरनेवालों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये मुआवजे की माँग की,

vii- माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने साहेबगंज जिले में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुँचाने का अनुरोध किया,

viii- माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा पूर्व से चले आ रहे विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा कराये जाने की पुनः माँग दुहरायी गयी,

ix- माननीय मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सम्बन्ध में की गयी टिप्पणी पर भारी शोरगुल होने लगा, इस क्रम में जे.एम.एम. के अधिकांशतः माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये।

4.वित्तीय कार्यः-

वित्तीय वर्ष-2016-17 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया। इसके उपरांत ध्वनिमत से ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग प्रभाग)'' से सम्बन्धित माँगें सभा द्वारा स्वीकृत हुई एवं माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिया गया कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

5.विधायी कार्यः-

राजकीय विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही वृहस्पतिवार, दिनांक-28.07.2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 27, जुलाई, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।